भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 5077
(जिसका उत्तर सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक) को दिया गया)

कोविड-19 राहत कार्यों के लिए सीएसआर निधि का उपयोग

5077. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोविड-19 से जुड़े राहत कार्यों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष को खर्च करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, भंडारा गोडिया जिला सहित महाराष्ट्र में वर्ष 2020 से 2021 के दौरान कोविड-19 से जुड़े राहत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित जागरूकता पैदा करने और आम जनता के बीच प्रचार अभियान के लिए तथा अस्थायी अस्पतालों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की अनुसूची-VII में उन पात्र कार्यकलापों की सूची दर्शायी गई है जिन्हें कंपनियों द्वारा सीएसआर के रूप में आरंभ किया जा सकता है। मंत्रालय ने दिनांक 18 जून 2014 के सामान्य परिपत्र सं. 21/2014 और दिनांक 25 अगस्त, 2021 के सामान्य परिपत्र सं. 14/2021 के द्वारा यह स्पष्ट किया था कि अनुसूची-VII में उल्लिखित मदें व्यापक आधारित हैं तथा उदारता से उनकी व्याख्या की जा सकती है। साथ ही, मंत्रालय ने दिनांक 23.03.2020 के सामान्य परिपत्र सं. 10/2020 के तहत यह स्पष्ट किया था कि कंपनियों द्वारा सीएसआर निधि का कोविड-19 से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों हेतु मद सं. (i) तथा (xii) के अंतर्गत क्रमशः निवारक स्वास्थ्य सुविधा तथा स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन के लिए व्यय किया जा सकता है। इसके पश्चात्, मंत्रालय ने दिनांक 13.01.2021 के

जारी...2/-

सामान्य परिपत्र सं. 1/2021 के द्वारा यह स्पष्ट किया था कि कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर जागरूकता अभियान/कार्यक्रम या पब्लिक आउटरीच अभियान चलाने पर सीएसआर निधि का व्यय करना एक पात्र सीएसआर कार्यकलाप है। इसके अलावा, क्रमशः दिनांक 22.04.2021, 05.05.2021 एवं 30.07.2021 के सामान्य परिपत्र सं. 05/2021, 09/2021 तथा 13/2021 के तहत मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि कामचलाऊ अस्पतालों की स्थापना करने और अस्थायी कोविड देखभाल की सुविधा की व्यवस्था करने एवं 'कोविड देखभाल के लिए स्वास्थ्य अवसरंचना सृजित करने', 'मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन तथा स्टोरेज प्लांटों की स्थापना करने,' 'कोविड-19 से उत्पन्न समस्या का सामना करने के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटरों, वेंटिलेटरों, सिलंडरों तथा अन्य चिकित्सीय उपस्करों का विनिर्माण एवं आपूर्ति करने' तथा कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की व्यवस्था करने के लिए सीएसआर निधि का व्यय करना पात्र सीएसआर कार्यकलाप हैं।

लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के अनुसार, डीपीआई, वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रत्येक वर्ष सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर विषय आधारित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए दिशानिर्देश जारी कर रहा है। वर्ष 2021-22 का विषय *"स्वास्थ्य एवं पोषण, जिसमें कामचलाऊ अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने सहित कोविड से संबंधित अन्य उपायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना" था।*

इस अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उनके संबंध में निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सीएसआर का ढांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का विवरण एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किया गया सीएसआर से संबंधित समस्त डाटा पब्लिक डोमेन www.csr.gov.in पर उपलब्ध है। कोविड-19 से संबंधित राहत कार्य से संदर्भित सीएसआर व्यय कंपनियों द्वारा प्रथृक रूप से फाइल करना अपेक्षित नहीं है तथापि, इसे 'स्वास्थ्य देखभाल' विकास क्षेत्र की व्यापक परिधि के तहत कवर किया गया है। कंपनियों द्वारा एमसीए 21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर, 'स्वास्थ्य देखभाल' विकास क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य में और भंडारा एवं गोंडिया जिलों में वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2019-20 और 2020-21 के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

राज्य /जिला	**वि.व. 2019-20**	**वि.व. 2020-21**
महाराष्ट्र	**1068.39**	**789.24**
भंडारा	**0.39**	**1.01**
गोंडिया	**0.03**	**0.38**

(31.12.2021 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए डाटा परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि विलंब से की गई फाइलिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क की लेवी पर 15.03.2022 तक छूट दी गई है।

******